भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1010
सोमवार, 08 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक)

खेड़ा, गुजरात में रोजगार कार्यालय

1010. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खेड़ा, गुजरात में कितने रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खेड़ा, गुजरात में रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार पुरूषों और महिलाओं ने पृथक से पंजीकरण कराया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खेड़ा, गुजरात में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से महिलाओं सहित कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) क्या घेरलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित सभी पंजीकृत कंपनियां अपनी श्रम शक्ति की आवश्यकता रोजगार कार्यालयों से पूरी करती हैं और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में रोजगार कार्यालयों के उन्नयन/आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): खेड़ा, गुजरात में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है। पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान खेडा, गुजरात में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या नीचे दी गई हैः

वर्ष	रोजगार चाहने वाले पंजीकृतों की संख्या	
	पुरूष	महिला
2017	13089	1358
2018	11266	1079
2019	12963	1840
2020 (अगस्त तक)	3417	536

स्रोतः गुजरात सरकार

(ग एवं घ): राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, खेड़ा, गुजरात में उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालय के माध्यम से महिलाओं सहित नियोजित व्यक्तियों की संख्या 30191 है। कंपनियों के लिए अपनी जनशक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रखा जाना अनिवार्य नहीं हैं।

(ड·):   मंत्रालय रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों संबंधी सूचना, जैसी विविध रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपांतरण हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ये सेवाएँ राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

एनसीएस परियोजना में राज्यों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। फिलहाल, 207 आदर्श करियर केंद्र अनुमोदित किए जा चुके (07 गैर-वित्तपोषित केंद्रों सहित) हैं। केंद्र सरकार योजना के दिशा-निर्देशों के आधार पर एमसीसी की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से इन आदर्श करियर केंद्रों को बना सकते हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमोदित, जारी और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-। पर दिया गया है।

इसके अलावा, एनसीएस परियोजना में रोजगार कार्यालयों को एनसीएस के साथ आपस में जोड़ने का एक घटक है जिसके अंतर्गत राज्यों को रोजगार कार्यालयों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इस घटक के तहत, सभी रोजगार कार्यालयों को एनसीएस पोर्टल के साथ आपस में जोड़ने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती है। सरकार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमोदित, जारी और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध- ।। में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 08.02.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या **1010** के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

रोजगार कार्यालयों में आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना (2014-15 से आदिनांक) के लिए अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य**	**अनुमोदित राशि**	**जारी राशि**	**उपयोग की गई राशि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44.87	26.92	15.88
2	आंध्र प्रदेश	332.95	216.21	33.40
3	अरुणाचल प्रदेश	35.30	21.18	0.00
4	असम	239.67	175.56	115.07
5	बिहार	355.85	227.83	54.02
6	छत्तीसगढ़	204.17	147.68	80.67
7	दिल्ली	40.79	24.47	15.00
8	गोवा	13.76	11.00	8.25
9	गुजरात	232.60	150.16	100.81
10	हरियाणा	75.69	45.41	24.59
11	हिमाचल प्रदेश	50.81	35.06	13.25
12	जम्मू और कश्मीर	302.18	131.70	18.95
13	झारखंड	195.31	134.84	32.54
14	कर्नाटक	288.95	193.35	67.00
15	केरल	136.53	89.57	22.97
16	लद्दाख	78.67	47.19	0.00
17	लक्षद्वीप	17.76	10.65	7.54
18	मध्य प्रदेश	389.69	314.76	277.52
19	महाराष्ट्र	123.29	81.56	21.55
20	मेघालय	86.52	56.09	28.15
21	मिजोरम	62.62	37.56	0.00
22	नागालैंड	77.25	53.81	22.42
23	ओडिशा	268.13	188.28	91.75
24	पुड्डुचेरी	73.94	52.20	23.52
25	पंजाब	98.29	51.25	0.00
26	राजस्थान	558.56	356.64	16.00
27	तमिलनाडु	411.34	260.21	40.19
28	तेलंगाना	254.44	164.60	41.89
29	त्रिपुरा	96.66	70.09	35.50
30	उत्तर प्रदेश	628.75	412.78	92.72
31	उत्तराखंड	138.01	96.01	51.85
32	पश्चिम बंगाल	412.10	254.08	43.89
	सकल योग	**6325.44**	**4138.70**	**1396.89**

अनुबंध -II

लोक सभा के दिनांक 08.02.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या **1010** के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए एनसीएस के तहत अनुमोदित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (2015-16 से आदिनांक)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**अनुमोदित राशि**	**जारी राशि**	**उपयोग की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	152.00	152.00	61.14
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00	2.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	131.22	131.22	0.00
4	असम	464.00	464.00	0.00
5	बिहार	645.00	645.00	70.10
6	छत्तीसगढ़	416.00	416.00	62.03
7	दमन और दीव	7.04	7.04	0.00
8	गुजरात	406.00	406.00	369.40
9	हरियाणा	267.87	267.87	15.92
10	हिमाचल प्रदेश	80.87	80.87	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	200.00	200.00	172.18
12	झारखंड	274.00	274.00	237.43
13	कर्नाटक	336.00	336.00	134.57
14	केरल	640.20	640.20	0.00
15	महाराष्ट्र	534.00	359.95	0.00
16	मिजोरम	29.92	29.92	0.00
17	मध्य प्रदेश	602.00	602.00	205.43
18	नागालैंड	95.00	95.00	0.00
19	ओडिशा	291.00	291.00	251.86
20	पुड्डुचेरी	16.21	16.21	2.00
21	पंजाब	84.00	84.00	0.00
22	राजस्थान	272.00	272.00	115.56
23	तमिलनाडु	560.00	560.00	520.86
24	तेलंगाना	350.00	350.00	222.00
25	त्रिपुरा	39.00	39.00	14.20
26	उत्तर प्रदेश	629.37	629.37	432.38
27	उत्तराखंड	112.00	112.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	140.00	140.00	76.42
	सकल योग	**7776.70**	**7602.65**	**2963.48**